डीजी-परिपत्र संख्या- 10 /2013

ए0सी0 शर्मा,
आई.पी.एस.

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1 तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांकः मार्च 20 , 2013

प्रिय महोदय,

प्रायः देखने में आ रहा है कि महिलाओं के साथ घटित अपराधों की मीडिया ब्रीफिंग के समय जनपदीय पुलिस अधिकारीगण पीड़ित महिला के प्रति अपेक्षित संवेदनशीलता प्रदर्शित नहीं करते हैं । इस सम्बन्ध में यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि प्रतिस्पर्धा के कारण बहुधा इलेक्ट्रानिक चैनलों पर पुलिस अधिकारी द्वारा दिये गये संवेदनहीन बयान को ही बार-बार दोहराया जाता है, जिससे पुलिस/प्रशासन की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

उदाहरण स्वरूप अभी हाल ही में पर्यटन के लिये भारत आयी स्वीट्जरलैण्ड की पर्यटक महिला के साथ मध्य प्रदेश में 6-7 व्यक्तियों द्वारा बलात्कार/लूट जैसा घृणित कार्य किया गया। उस घटना में मीडिया में स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा महिला को ही आरोपित किया गया और महिला पर देर रात में घूमने तथा सुनसान क्षेत्र में कैम्प किये जाने सम्बन्धी सूचना पुलिस को न दिये जाने जैसे आरोप लगाये गये, जो महिलाओं की मर्यादा के विपरीत है।

आप सहमत होगें कि संवेदनशील घटनाओं यथा महिलाओं के साथ बलात्कार, यौन हिंसा, दुर्व्यवहार जैसे प्रकरणों में प्रिन्ट/इलेक्ट्रानिक मीडिया के समक्ष भ्रामक एवं महिलाओं की मर्यादा के विपरीत उनकी भावनाओं को आहत करते हुए उनके पहनावे, उनके रहन-सहन तथा आचरण एवं अन्य प्रकार की टिप्पणी करना अनुचित है।

भविष्य में आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि किसी घटना के सम्बन्ध में प्रिन्ट/इलेक्ट्रानिक मीडिया को सम्बोधित करते समय पीड़ित महिला के आचरण, रहन-सहन, कपड़े पहनने के तरीके, उसके एवं उसके साथी के सम्बन्ध में किसी प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी न की जाए। घटनाओं के सम्बन्ध में तथ्यों की पूरी जानकारी कर सत्य एवं प्रमाणित विवरण ही प्रस्तुत किया जाए। Press briefing should be a statement of facts and Police Officer concerned should not make any value judgement. अतः किसी भी दशा में प्रेस ब्रीफिंग में की गयी टिप्पणी में पीड़ित महिला पर उसके साथ हुए अपराध का दोष न दिया जाय।

पुलिस से सम्बन्धित विरोधाभासी एवं भ्रान्तिमूलक समाचारों के सम्बन्ध में मीडिया के समक्ष स्थिति स्पष्ट कर दी जाए, जिससे पुलिस का सही पक्ष प्रस्तुत हो सके और पुलिस को अनावश्यक आलोचना का शिकार न होना पड़े। पुनः स्मरण दिलाना चाहूँगा की पीड़ित महिला का नाम व चित्र किसी भी दशा में प्रेस में न आने पाये। महिला से सम्बन्धित अपराध की प्रेस ब्रीफिंग जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक तथा उनकी अनुपस्थिति में जनपद में उपलब्ध वरिष्ठतम् अधिकारी द्वारा की जाएगी।

मै चाहूँगा कि इसका अनुपालन कड़ाई से किया जाए ताकि मीडिया के समक्ष पुलिस की छवि धूमिल न हो सके।

भवदीय,

(ए0सी0 शर्मा) 20.5.13

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, अप0शा0अप0अनु0विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, एन0सी0आर0 जोन, मेरठ।
4. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
5. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।